न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. श्री विजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी-प्लॉट नं.70, P&T कॉलोनी, मानपुर, तलहटी, आबूरोड, जिला-सिरोही
2. राजकुमार लाडिया, खाद्य कारोबारकर्ता व प्रेसिडेंट,

फर्मः- मोर्डन इन्सूलेटर्स प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड, तहसील- आबूरोड, जिला-सिरोही

प्रकरण संख्याः 24/2017

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा, प्रतिवादी पक्ष की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 18 नवम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 29.8.2016 को समय 11.00 ए.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म मोर्डन इन्सूलेटर्स प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- प्लॉट नं. 70, पी एण्ड टी कॉलोनी, मानपुर, तलहटी, आबूरोड, जिला- सिरोही है एवं फर्म मोर्डन इन्सूलेटर्स प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) की एक-एक लीटर के 17 पैक्ड प्लास्टिक बोतलों में से रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) की एक-एक लीटर की 4 पैक्ड बोतले खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खरीद रसीद बिल पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता व

....पेज दो पर

उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर है। फार्म संख्या- 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् प्रत्येक खरीदशुदा रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) के चारों नमूना पैक्ड बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया, चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-655 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.8.2016 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 29.8.2016 को शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड)का नमूना S-655 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड)का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा मिथ्याछाप

....पेज तीन पर

(Misbranded) खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है, जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवड़ा उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 के वकील ने वकालतनामा के साथ उपाध्यक्ष, मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी भण्डार लिमि., तलहटी, आबूरोड़ का पत्र दिनांक 14.11.2017 प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी विजय शर्मा को इस प्रकरण में उपस्थित होने व पैरवी हेतु अधिकृत किया हुआ है। प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 13.11.2019 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। बहस के दौरान प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री देवड़ा ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. तलहटी, आबूरोड़ ने उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) की एक-एक लीटर की पैक्ड बोतलों को वेट इनवाईस नम्बर 2346 दिनांक 15.7.2016 के द्वारा फर्म ओरीया विनोद मार्केटींग, आजद मैदान, आबूरोड़ से क्रय किया था एवं फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. तलहटी, आबूरोड़ ने उक्त खाद्य पदार्थ को मूल कम्पनी पैक अवस्था में ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को वास्ते नमूना जांच विक्रय किया है। मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. तलहटी, आबूरोड़ उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता फर्म नही है, जो भी गलती हुई है वह निर्माता फर्म/सप्लायर स्तर पर हुई है, इसलिये प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 29.8.2016 को 11.00 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़ में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से विजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- प्लॉट नं. 70, पी एण्ड टी कॉलोनी, मानपुर, तलहटी, आबूरोड़ उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्त भण्डार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़ के निरीक्षण के दौरान आम जनता

.....पेज चार पर

के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष मैनेजर/खाद्यकारोबारकर्ता विजय शर्मा को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) की एक-एक लीटर की 17 पैक्ड प्लास्टिक बोतलों में से रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) की एक-एक लीटर की 4 पैक्ड बोतलें खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/- (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर विजय शर्मा व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-655, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर विजय शर्मा व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) की चारों नमूना पैक्ड बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-655 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर विजय शर्मा व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर विजय शर्मा व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी भण्ड़ार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़ में खाद्यकारोबारकर्ता एवं मैनेजर विजय शर्मा से खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति

.....पेज पांच पर

लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से लिफावों में रखकर लिफावों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के द्वारा दिनांक 30.8.2016 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 29.8.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-655 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1047/Act/2016/1079 दिनांक 07.9.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्ड़ार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़ में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर विजय शर्मा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी विजय शर्मा, मेनेजर, मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्ड़ार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़ ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को एक पत्र दिनांक 21.4.2017 प्रस्तुत कर यह बताया कि मैसर्स ओरीया विनोद मार्केटींग ने संबंधित प्रशान्त ब्राण्ड का सोयाबिन तेल हमें बेचा है, जिसकी बिल नम्बर 2346 दिनांक 15.7.2016 है एवं बिल में ब्राण्ड का नाम नही है। प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रोपराईटर/मैनेजर, आरीया विनोद मोर्कटींग, आजाद मैदान, आबूरोड़ द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 02.3.2017 में यह बताया कि मेरी फर्म द्वारा प्रशान्त ब्राण्ड़ सोयाबिन तेल का कोई खाद्य पदार्थ नही बेचा गया है, इसलिये इस संबंध में कोई जानकारी देने में असमर्थ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी भण्ड़ार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़ में मैनेजर/खाद्य कारोबारकर्ता विजय शर्मा से खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु कीमत राशि रुपये 320/- (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) अदा कर जरिये बिल 6895 दिनांक 29.8.2016 के द्वारा क्रय किया गया था, जबकि प्रतिवादी विजय शर्मा द्वारा प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मैसर्स ओरीया विनो मार्केटींग, आजाद मैदान, आबूरोड़ का जो बिल नम्बर 2346 दिनांक 15.7.2016 का प्रस्तुत किया गया है उसमें सोयाबिन तेल की ब्राण्ड का नाम अंकित नही है। प्रकरण में इस न्यायालय में प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त बिल नम्बर

....पेज छः पर

2346 दिनांक 15.7.2016 में भी सोयाबिन तेल की ब्राण्ड का नाम अंकित नही है। ऐसी स्थिति में, यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि फर्म ओरीया विनोद मार्केटींग, आजाद मैदान, आबूरोड़ द्वारा फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी भण्ड़ार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़ को उक्त बिल नम्बर 2346 दिनांक 15.7.2016 से खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) का ही विक्रय किया गया हो। ऐसी स्थिति में, उक्त मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबिन तेल (प्रशान्त ब्राण्ड) के विक्रय हेतु फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्ड़ार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़ ही उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी फर्म मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्ड़ार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़ पर राशि रुपये 11,000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी विजय शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा, मैनेजर, मोर्डन इन्सुलेटर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्ड़ार लिमिटेड, तलहटी, आबूरोड़ को आदेशित को किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि रुपये 11,000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.20 13:28:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: